जनपद हमीरपुर

थाना सुमेरपुर **दिनांक 15.08.2026**

साइबर ठगों को फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश; वांछित शातिर अभियुक्त 08 अदद फर्जी सिम कार्ड व मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार।

पुलिस कार्यवाही का विवरण-

आज दिनांक 15.08.2026 को थाना सुमेरपुर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत, लगनशीलता तथा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 258/2026 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2) BNS एवं 66C/66D IT Act में वांछित अभियुक्त संजय साहू पुत्र हरिकिशन साहू, निवासी ग्राम खण्डेह, थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर उम्र करीब 22 वर्ष को लक्ष्मीबाई तिराहा सुलभ शौचालय के पास, थाना क्षेत्र सुमेरपुर से मय 08 अदद एक्टिवेटेड VI (वोडाफोन/आईडिया) कंपनी के सिम कार्ड, 01 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन मोटोरोला कंपनी का, नगद 250 रूपये के गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है।

अपराध करने का तरीका (Modus Operandi) अभियुक्त POS (Point of Sale) एजेंट के रूप में कार्य करता है और गांव-गांव घूमकर लोगों के सिम कार्ड एक्टिवेट व पोर्ट करता था। प्रक्रिया के दौरान वह तकनीकी खराबी या सर्वर फेलियर का बहाना बनाकर ग्राहकों का बायोमेट्रिक व ई-केवाईसी दोबारा करा लेता था। इस प्रकार छलपूर्वक निकाले गए अतिरिक्त एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स को वह अपने साथी निजामुद्दीन तथा मौदहा स्थित छोटू मोबाइल सेंटर के सोनू के माध्यम से साइबर अपराधियों को ऊंचे दामों पर बेच देता था। NCRP पोर्टल की जांच से यह भी प्रमाणित हुआ है कि अभियुक्त की POS आईडी से जारी 07 पूर्व सिम कार्डों का प्रयोग कर असम, गुजरात, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में साइबर फ्रॉड की कुल 12 घटनाएं घटित की जा चुकी हैं, जिनसे लाखों रूपये का साइबर फ्राड किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- संजय साहू पुत्र हरिकिशन साहू, निवासी ग्राम खण्डेह, थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

- **स्थान:** लक्ष्मीबाई तिराहा (सुलभ शौचालय के पास), थाना क्षेत्र सुमेरपुर।

बरामदगी का विवरण

- 08 अदद एक्टिवेटेड VI (वोडाफोन/आईडिया) कंपनी के सिम कार्ड
- 01 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन
- नगद ₹ 250/-

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

प्र0नि0 पवन कुमार पटेल, थाना सुमेरपुर हमीरपुर
व0उ0नि0 दुर्गेश कुमार राय
आरक्षी सुमित कुमार